

कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक दफ्तर पर्याम कमान खातीपुरा रोड जयपुर-302012  
OFFICE OF PRINCIPAL CONROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS JAIPUR  
KHATIPURA ROAD, JAIPUR-302012

महत्वपूर्ण परिपत्र

सं: प्रशा/वेतना/101/परिपत्र/टीए/डीए/एलटीरी  
रोड मे.

दिनांक ।।। 10/2018

, प्रभारी अनुग्राम  
रामरत्न अनुग्राम  
(स्थानीय)  
रामरत्न अधीनस्थ कार्यालय

उल्लेख:- इस अनुग्राम का महत्वपूर्ण परिपत्र संख्या AN/PAY/101/CIRCULAR Dated 21.02.2018

\*\*\*\*\*

प्रशासन वेतन अनुग्राम द्वाया उपरोक्त संदर्भित परिपत्र के माध्यम से यात्रा भत्ता दावे प्रस्तुत करने की रागत दीमा के रांबंद मे घपष्ट टिशा-निर्देश जारी किए गए थे फिर भी राठ देखा गया है कि प्रशासन-वेतन अनुग्राम मे प्राप्त यात्रा भत्ता के दावे यात्रा समाप्ति के 2 माह पश्चात भी प्रेषित किए जा रहे हैं। तिए उत्ता अधिकारीज्ञों के द्वाया अंगीरतापूर्यक लिया गया है। भारत सरकार के पत्र संख्या 19030/1/2017-E.IV dated 13.07.2018 के अनुसार “ यात्रा भत्ता दावा यात्रा समाप्ति के 60 दिन के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि इस अवधि मे दावा नहीं किया जाता है तो उसे जल्द ( Forfeit) माना जाएगा।”।

आवेद्या मे यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत करते समय उपरोक्त निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

प्रतिशिष्टिः

ईडीपी अनुग्राम:- वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

  
समृद्ध अधिकारी  
(प्रशा-वेतन)

— ८४६ —  
लेखा अधिकारी  
(प्रशा-वेतन)